

छत्तीसगढ़ विधान सभा

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 18 जुलाई, 2013 (आषाढ़ 27, 1935)

क्रमांक- 8899/विधान/2013 -राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश, दिनांक 17 जुलाई, 2013 सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है :-

“भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (2) के उपखण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, शेखर दत्त, राज्यपाल, छत्तीसगढ़, एतद्वारा छत्तीसगढ़ की तृतीय विधान सभा के तेरहवें सत्र, का सत्रावसान तात्कालिक प्रभाव से करता हूं।

स्थान : रायपुर

दिनांक : 17 जुलाई, 2013

शेखर दत्त

राज्यपाल, छत्तीसगढ़”

हस्ता/-

(देवेन्द्र वर्मा)

प्रमुख सचिव.

क्रमांक 8900/विधान/2013

रायपुर-492005 दिनांक 18 जुलाई, 2013

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. समस्त माननीय सदस्य, छत्तीसगढ़ विधान सभा.
2. समस्त माननीय सांसद, छत्तीसगढ़.
3. छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव, समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं सचिव, रायपुर.
4. माननीय राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर
5. समस्त मंत्रियों/संसदीय सचिवों के निज सचिव.
6. महालेखाकार (लेखापरीक्षा) / महालेखाकार (लेखा एवं हकदारों), छत्तीसगढ़, रायपुर.
7. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़.
8. महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर.
9. समस्त आयुक्त/समस्त जिलाधीश, छत्तीसगढ़.
10. समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़.
11. छत्तीसगढ़ शासन सचिवालय के समस्त विभाग, रायपुर.
12. कार्यपालन अभियंता, (भवन तथा सड़क) एवं (विद्युत यांत्रिकी) लोक निर्माण विभाग, विधान सभा संभाग, रायपुर.
13. केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी, रायपुर.
14. केन्द्र निदेशक, दूरदर्शन, रायपुर.
15. आयुक्त/संचालक जनसम्पर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर.
16. महासचिव, लोक सभा, नई दिल्ली.
17. महासचिव, राज्य सभा, नई दिल्ली.
18. भारत के समस्त विधान मंडलों के प्रमुख सचिव/सचिव.
19. सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन मदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001.
20. सचिव, भारत सरकार, विधि मंत्रालय, नई दिल्ली.
21. सचिव, भारत सरकार, संसदीय कार्य विभाग, 90 संसद भवन, नई दिल्ली.
22. सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली.
23. स्थायी सचिव, भारतीय जनता पार्टी/भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस/बहुजन समाज पार्टी, रायपुर.
24. छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय की समस्त शाखाएं.



(देवेन्द्र वर्मा)

प्रमुख सचिव.